सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून

भोपाल. भारत में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन और सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और न्याय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय-समय पर किया जाता है। हाल ही में, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को संसद में पारित किया गया. अब एक जुलाई 2024 से पूरे देश में यह लागू हो रहा है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा

डॉ. मोहन यादव
(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है)

करने के लिए बनाए गए थे. इनका उद्देश्य दंड देने का था, न की न्याय देने का. तीन नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा. भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा. पुराने कानूनों में गुलामी की बू आती थी. ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे क्योंकि इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अपनाया था. इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाई द क्राउन रिप्रेन्टेटिव, लंदन गैजेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है. इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाइ द प्रिवी काउंसिल के रेफेरेंस दिए गए हैं, कॉपी? एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेट इन द लंदन गैजेट के आधार पर इन कानूनों को बनाया गया, पनेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड और हर मैजेस्टी डॉमिनियन्स का भी जिक्र इन कानूनों में कई स्थानों पर है. अच्छी बात यह कि गुलामी की निशानियों को पूरी तरह मिटा दिया गया है. जिसके तहत 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त कर दिया गया है. हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, कई बार न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लोगों की श्रद्धा उठ जाती है और अदालत में जाने से डरते हैं.

इन कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, इस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि आज तक आतंकवाद से परिचित सभी थे लेकिन आतंकवाद की परिभाषा, व्याख्या नहीं थी. अब ऐसा नहीं रहेगा. अब अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है. इससे जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है. जांचकर्ता पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश देगा. गौरतलब है कि अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है.

कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी

इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया गया है. दस्तावजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी. इस कानून को डिजिटलाइज किया गया है, यानी एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइ? करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है. अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है.

पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई

इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है. इन कानूनों को आज के समय के अनुरूप बनाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे थे. वर्ष 2020 में सभी, महामहिम राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों एवं संघ-शासित प्रदेशों के महामहिम प्रशासकों को पत्र लिखे गए. इसके बाद व्यापक परामर्श के बाद ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है. इसके लिए 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं.

पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ रहा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री करण सिंह पहुंचे ग्राम कुलांस कला

ग्रामीणों के साथ सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात

प्रदर्शनी का अवलोकर किया

सीहोर, 30 जून. केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जिले के ग्राम कुलांस कला में ग्राम वासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है.

पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है. प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे यह दायित्व सौंपा है कि मैं किसानों के कल्याण के लिए कार्य करूं, जोकि मैं पूरी लगन से करूंगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्य पहले से ही चल रहे हैं. आगे भी किसानों के हित में कई फैसले किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है और लागत कम करना है, इसके लिए नई किस्म के अधिक उत्पादन करने वाले बीज तैयार किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों का सही दाम मिले इसके लिए एमएसपी बढ़ाई जा रही है.

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन: केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम कुलांस कला में कृषि विभाग द्वारा लगाई गई कृषि आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा ड्रोन से संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उनका उत्साहवर्धन किया. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ग्राम के मंदिर परिसर में पौधरोपण किया एवं वहां उपस्थित सभी आमजन से अधिक से अधिक पेड़ लगाने को कहा.

हनों को अलग-अलग कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी,

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि सभी लाड़ली बहनों को लखपति बनाने का दायित्व भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे सौंपा है. उन्होंने कहा कि स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से बहनों को अलग-अलग कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वह स्वयं का कार्य शुरू कर सकेंगी. इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा बैंक से धनराशि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया है कि गरीबों के लिए दो करोढ़ आवास और बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि स्वयं एवं धरती को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से एक पेड़ मां के नाम लागाने का आवाह्न किया है. उन्होंने कहा कि अपने देश, राज्य, गांव को नशामुक्त बनाने एवं स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा. इस अवसर पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार आम नागरिकों की हर क्षेत्र में मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि देश के विकास के साथ ही जिले के विकास के लिए निरंतर कार्य करेंगे.

जैन समाज का दावा खुदाई में निकली थी मूर्तियां

भाजशाला में सर्वे के बाद कोर्ट में लगाई याचिका

याचिका पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई

धार, 30 जून. धार में एएसआई के सर्वे के बाद हाईकोर्ट में अब जैन समाज ने याचिका लगाई है. एएसआई द्वारा भोजशाला में की गई खुदाई के दौरान जैन तीर्थंकर मूर्तियां भी निकली.

इसके बाद जैन समाज ने भोजशाला पर दावा पेश किया है. समाज ने याचिका में कहा है कि धार में जैन गुरुकुल था, जिसे भोजशाला कहा जा रहा है.

याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी

उधर, हिंदू पक्ष पूर्व में भोजशाला पर अपना अधिकार जता चुका है. समाज ने कहा कि वहां सरस्वती माता का मंदिर था और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था. विश्व जैन संगठन के मीडिया प्रभारी राजेश जैन दादू ने बताया कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनेश कुमार जैन समाज की तरफ से पक्ष रखेंगे. हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि सुनवाई में हमारे समाज के दो लोगों को भी शामिल किया जाए. याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने जैन समाज की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली है. हाईकोर्ट के निर्देश पर डेढ़ माह तक धार की भोजशाला में सर्वे चला. खुदाई कर भोजशाला की पुरानी बनावट, निर्माण शैली और धार्मिक चिन्हों की जानकारी जुटाई गई. इस बीच, जैन समाज ने याचिका लगाई. इसमें कहा गया है कि भोजशाला में जैन धर्म से संबंधित अंबिका देवी और सरस्वती देवी की मूर्ति के अलावा भोजशाला में जैन गुरुकुल होने के प्रमाण मिले हैं. जैन समाज के शिलालेख ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित हैं.

एएसआई सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भी भोजशाला में मौजूद रहते थे.

पुराने और जर्जर केबिल जल्द बदलवाएं

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल वद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

भोपाल 30 जून. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विद्युत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए सही वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में करायें.

राजनिवास सर्किट हाउस में रीवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान श्री शुक्ल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां विद्युत का लोड अधिक है वहां आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ट्रांसफर्मर लगायें तथा पुराने एवं

जर्जर केबिल बदलवाये. उप मुख्यमंत्री ने अगडाल, दुआरी, नवागांव, पुरौना, कुशहा, लक्ष्मणपुर सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत से संबंधित शिकायतों को निराकृत कराने के निर्देश दिये तथा कहा कि आगामी 15 दिन में पुन- इसकी समीक्षा की जायेगी. उप मुख्यमंत्री ने आरडीएसएस योजना के तहत विद्युत विभक्तिकरण कार्य की समीक्षा की.

संदिग्ध अवस्था में नाबालिग का आश्रम में मिला शव

डिंडोरी. मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक आश्रम में नाबालिग बच्चे का संदिग्ध अस्वथा में शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. इस मामले में आश्रम के बाबा ने हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल, पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक, यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है. जहां रविवार को गांगपुर मार्ग पर स्थित गोरक्ष नाथ राधा कृष्ण मंदिर में बने कमरे में 13 वर्षीय गोविंद का संदिग्ध अवस्था में शव मिला. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

आदर्श संस्थान बनेगा एसवी पॉलीटेक्निक कॉलेज

तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा

भोपाल, 30 जून.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का निरीक्षण किया.

मंत्री श्री परमार ने महाविद्यालय परिसर में टैगोर हॉस्टल का निरीक्षण कर संस्थान परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. श्री परमार ने संस्था परिसर में उपलब्ध भूमि पर विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं संस्थान के अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा वृक्षारोपण कर विद्यावन तैयार करने के लिए इसे व्यापक रूप में वर्षाकाल से प्रारंभ करने को कहा. श्री परमार ने कहा कि बंजर भूमि मे सघन वृक्षारोपण किया जाये. नीम, पीपल, करंज, मौलश्री, गूलर, इमली, महुआ इत्यादि पौधों को प्राथमिकता दी जाए, पौधे पर्यावरण के अनूकूल हों और पूर्व दिशा की ओर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी लगाई जाये.

उन्होंने कहा कि पंक्षियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मध्य में मौलश्री के पौधे लगाए जाएं.

वकील ने किया सुसाइड

ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अज्ञात कारणों के चलते एक वकील ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

घटना शनिवार-रविवार की दरमियानी रात की है. सुसाइड का पता उस समय चला जब वकील की पत्नी ने उन्हें बिस्तर से गायब देखा. इसके बाद वह उन्हें तलाशते हुए दूसरे कमरे में पहुंची तो उनकी चींख निकल गई.

महिला ने देखा कि उनके वकील पति कमरे में फांसी पर लटके हुए थे. फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने मर्ग कायम कर इसकी जांच शुरू कर दी है.

उमरिया में मिला बाघ का शव

उमरिया, 30 जून. मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बाघ का शव मिलने से वन अमला में हड़कंप मच गया. इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया.

- शव की सूचना से वन अमला में हड़कंप मचा
- घटना स्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम

विभाग की टीम ने शव को कब्जे लेकर पीएम के लिए भिजवाया. जानकारी के मुताबिक, आज रविवार को उमरिया सामान्य वनमंडल के पाली वनपरिक्षेत्र के मंगठार बीट के कक्ष क्रमांक-555 में संदिग्ध परिस्थितियों में बाघ का शव मिला. सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड टीम के साथ वन अमला की टीम घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने बाघ के शव को कब्जे ले लिया है. बताया जा रहा है कल सुबह मृत बाघ पोस्टमार्टम होगा. टीम की मानें तो बाघ की उम्र 4 से 5 साल की बताई. इस मामले में बताया कि दो बाघों के बीच आपसी संघर्ष हुआ है. जबकि कहना है कि सामान्य वनमंडल में आपसी संघर्ष संभव नहीं है. ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, पोसटमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत का वजह स्पष्ट हो पाएगी.

मप्र में सभी सीटें जीतने का इतिहास

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पन्ना जिले में हुआ जोरदार स्वागत

पन्ना, 30 जून. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को खजुराहो लोकसभा के गुन्नौर और पवई विधानसभा के मतदाता और कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं ने भाजपा को तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत से लोकसभा चुनाव में विजय दिलाई है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जाति के आधार पर लोगों को बांटकर देश में विष घोलने का कार्य किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने

पन्ना जिले के ग्राम बराछ और बिलघाड़ी पहुंचकर मतदाताओं को सम्मानित किया और भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया. शर्मा ने कहा कि जनता के आशीर्वाद और भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम व मेहनत से भाजपा को यह ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के बाद नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी पहले राजनेता हैं.

NARCL National Asset Reconstruction Company Ltd

नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U67100MH2021GOI363511
पता- बिरला सेंचुरियन, 8वीं मंजिल, यूनिट नंबर 01, 794, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400 030 ईमेल आईडी- nishithkejriwal@narcl.co.in/Ph: 022-69601108

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('SARFAESI अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ा गया

इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटर) कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल ट्रस्ट-0002/2022-23 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रही है) ('सुरक्षित लेनदार') को गिरवी/प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्ज़ा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे 'जहां है, जैसा है', 'जो है, जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर 23.07.2024 को बेचा जाएगा, ताकि 31 मार्च, 2024 तक रुपए 1525,98,14,779/- [एक हजार पांच सौ पच्चीस करोड़ अट्ठानबे लाख चौदह हजार सात सौ उनहत्तर मात्र] की वसूली की जा सके और 1 अप्रैल, 2024 से वसूली की तिथि तक प्रलेखित दर के अनुसार अतिरिक्त ब्याज वसूली की जा सके।

उपर्युक्त बकाया राशि एसएसए इंटरनेशनल लिमिटेड ('उधारकर्ता') और सैमटेक्स फैशन प्राइवेट लिमिटेड, एम्पायर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, गार्टेक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, एसएसआर अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, रीता मित्तल, राहुल मित्तल, विनय मित्तल, नवीन मित्तल ('गारंटर') से सुरक्षित लेनदार को देय है, संपत्ति का विस्तृत विवरण, उसका आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा निम्नानुसार होगी-

संपत्ति का विवरण	दिनांक और समय	आरक्षित मूल्य (रुपये में)	बयाना राशि जमा (रुपये में)
97,750 वर्ग मीटर की भूमि (लीजहोल्ड) और उसमें भवन, औद्योगिक प्लॉट संख्या 11, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, चरण-II, गांव-मंडीदीप, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन, मध्य प्रदेश, पिन-462046 पर स्थित उत्तर: प्लॉट संख्या 11-ए-1. दक्षिण: प्लॉट नंबर 10 और खुली जमीन. पूर्व: खुली जमीन। पश्चिम: सड़क	23.07.2024 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच	रु. 23,60,00,000 (केवल तेईस करोड़ साठ लाख रुपये)	रु. 2,36,00,000/- रुपये (केवल दो करोड़ छत्तीस लाख रुपये)

ज्ञात भार-
एमपीआईडीसी (एमपी औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) ने वित्त वर्ष 2024-25 तक ब्याज सहित लीज रेंट और रखरखाव शुल्क के लिए 123.95 लाख रुपये की राशि का बिल जारी किया है।

निरीक्षण की तिथि और समय: 10.07.2024 सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 22.07.2024 शाम 5.00 बजे से पहले

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **https://www.narcl.co.in/auctions** पर दिए गए लिंक को देखें। अंग्रेजी में प्रकाशित वर्तमान बिक्री नोटिस और इस नोटिस के स्थानीय संस्करण में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में अंग्रेजी नोटिस की सामग्री मान्य होगी।

एसडी/-
दिनांक- 01.07.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान- मुंबई नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एनएआरसीएल ट्रस्ट 0002/2022-23 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल हरदा

फोन- 07577-222003, फैक्स- 07577-224224
ई-मेल- dfotharda@mp.gov.in

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि हरदा सामान्य वन मंडल के जप्तशुदा राजसात वाहन (जहां है, जैसा है) के विक्रय हेतु द्वितीय चक्र में मुहरबंद निविदाएं वनमंडल कार्यालय सामान्य हरदा में दिनांक 4/7/2024 को 3 बजे तक आमंत्रित की गई हैं, जो कि उक्त दिनांक 4/7/2024 को दिन के 3 बजे तक प्राप्त की जावेंगी तथा प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 4/7/2024 को ही 4 बजे खोली जावेंगी. निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी.
जप्त राजसात वाहन का विवरण, जिनका द्वितीय निविदा द्वारा विक्रय किया जाना है:-

अ. क्र.	वाहन का क्रमांक	वाहन का नाम	वाहन का प्रकार	स्थान जहां वाहन रखा है
1	2	3	4	5
1.	MP11-G-1316	महेन्द्रा पिकअप	जप्त राजसात वाहन	परिक्षेत्र कार्यालय, सिराली
2.	MP48-G-1635	बोलेरो पिकअप	--,,--	निस्तार डिपो खिरकिया
3.	MP09-CF-9709	पिकअप वाहन-407	--,,--	--,,--
4.	MP47-MF-3764	मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना	--,,--	परिक्षेत्र कार्यालय सिराली
5.	MP47-ME-6524	हीरो स्प्लेंडर NXG	--,,--	--,,--
6.	RJ19-2G-2705	ट्रक टाटा	--,,--	परिक्षेत्र कार्यालय हंडिया

निविदाकार के लिए निम्नानुसार शर्तें बंधनकारी होंगी:-

1. निविदा फार्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किए जा सकेंगे. प्रति निविदा फार्म की कीमत रुपए 100/- नगद जमा करानी होगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी. निविदा फार्म दिनांक 4/7/2024 को दोपहर 2 बजे तक ही प्रदाय किए जावेंगे.
2. निविदाकार को प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक निविदा के साथ दोपहिया वाहन की जमानत के रूप में राशि रुपए 2000/- एवं चार पहिया वाहन की जमानत के रुप में राशि रुपए 5000/- का बैंक ड्रॉफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम (वन मंडल अधिकारी सामान्य हरदा) से जो हरदा में देय हो, प्रस्तुत करना होगा.
3. वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई कागजात उपलब्ध नहीं है और न ही उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभाग की होगी.
4. वाहन पर किसी संस्थान/ बैंक/ निजी व्यक्ति फायनेंस बावत् कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी.
5. सफल निविदाकार को वाहन क्रय की स्वीकृति प्रदान करने के 15 दिनों के अंदर वाहन की शेष राशि एवं क्रय वाहन की कीमत पर शासन निर्देशानुसार 18 प्रतिशत जीएसटी राशि का बैंक ड्रॉफ्ट पृथक से जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत की राशि राजसात करते हुए वाहन क्रय की स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी.
6. निविदा में उल्लेखित जप्तशुदा राजसात वाहन वर्तमान में जहां जैसा है, निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में उसी हालत में प्राप्त करना होगा.
7. परिवहन विभाग में वाहन को पंजीकृत कराने का दायित्व क्रेता का होगा.
8. निविदा की विस्तृत शर्तें दिनांक 4/7/2024 तक कार्यालयीन समय में वनमंडल कार्यालय में देखी जा सकेंगी.
9. निविदाकार उक्त वाहनों का अवलोकन/ भौतिक सत्यापन कार्यालयीन समय में दर्शाए गए स्थानों पर कर सकेंगे तथा भौतिक सत्यापन पश्चात निविदा फार्म का क्रय एवं निविदा फार्म डालेंगे. निविदा दिनांक को वर्णित वाहनों के संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी.
10. निविदा मान्य अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा.
11. विवाद की स्थिति में हरदा ज्युडिशियल क्षेत्र होगा.

(अनिल चोपड़ा)
भा.व.से.
G12666/24 वन मंडलाधिकारी, हरदा (सामान्य) वन मंडल